

न्यायालय— शरद जोशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंजड जिला  
बडवानी म.प्र.

आप0प्र0क0— 53 / 2018  
संस्थापन दिनांक—16.04.2018

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ठीकरी,  
जिला बडवानी म0प्र0

.....अभियोगी

**विरुद्ध**

सुभाष पिता जगदीश सैनी उम्र 27 वर्ष  
निवासी— खुरमपुरा ठीकरी तहसील ठीकरी जिला  
बडवानी म0प्र0

.....अभियुक्त

// निर्णय //  
(आज दिनांक ..... को घोषित )

01— अभियुक्त सुभाष के विरुद्ध 34 (1) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 13.02.2018 को 14:45 बजे ए.बी.रोड़ न्यू लक्ष्मी ढाबे के पास घोलानिया ठीकरी आपके आधिपत्य में वैध अनुज्ञप्ति के बिना एक सफेद थैली में 15 क्वाटर देशी प्लेन मदीरा रखने का आरोप है।

02— प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य है कि, अभियुक्त के द्वारा स्वेच्छा पूर्वक अपराध स्वीकार किया गया है।

03— अभियोजन कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 13.02.2018 को 14:45 बजे मूखबिर की सूचना पर आरोपी सुभाष पिता जगदीश सैनी एक सफेद थैली में अवैध शराब लेकर एक सफेद थैली में लेकर न्यू लक्ष्मी ढाबे पर खड़ा है। मूखबिर की सूचना पर पंचाग को लेकर ए.डी.रोड़ न्यू लक्ष्मी ढाबे के पास पहुँचे तो देखा एक व्यक्ति सफेद रंगी की थैली लेकर खड़ा था, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा व नाम पता पूछने पर अपना नाम सुभाष पिता जगदीश सैनी जाति माली उम्र 27 साल निवासी खुरमपुरा को होना बताया। आरोपी के कब्जे में रखी सफेद थैली को चैक करने पर

निरंतर.....

उसके अंदर सफेद प्लेन के 15 क्वाटर 180 एम.एल. के सील बंद के मिले। आरोपी सुभाष सैनी से शराब लाने ले जाने का लायसेंस पूछने पर नहीं था। आरोपी सुभाष सैनी का उपरोक्त कृत्य धारा 34 ए आबकारी एक्ट का पाया जाने से पंचान भागीरथ व संतोष के समक्ष आरोपी सुभाष सैनी के कब्जे से सफेद प्लेन 15 क्वाटर जप्त की जाकर विधिवत् जप्ति व आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। आरोपी के विरुद्ध थाने के अप0 क्र0 43/18 पर प्रथम सूचना पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा विवेचना उपरांत आरोपी सुभाष पिता जगदीश के विरुद्ध अभियोग पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपी सुभाष पिता जगदीश ने अपराध स्वीकार किया। अभियुक्त को दंड का परिणाम से अवगत कराया गया और उसे समझाया गया कि वह संस्वीकृती करने के लिये आबद्ध नहीं है। किन्तु अभियुक्त के द्वारा अपराध समझने के उपरांत प्रश्नगत दिनांक को अपने आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति देशी शराब के 18 क्वाटर रखना स्वीकार किया है। अतः स्वेच्छापूर्ण की गई संस्वीकृती के आधार पर अभियुक्त को धारा 34 (1) आबकारी अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

05— अभियुक्त को धारा 34 (1) आबकारी अधिनियम के आरोप में न्यायालय उठने की सजा एवं 500/— रु के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं किये जाने पर 07 दिवस का सश्रम कारावास भुगताया जावे।

06— प्रकरण में जप्त शुद्धा देशी मदिरा मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
व दिनांकित कर घोषित किया गया

मेरे निर्देशन व बोलने पर  
टंकित किया गया।

(शरद जोशी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

(शरद जोशी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

अंजड जिला बड़वानी म0प्र0

अंजड जिला बड़वानी म0प्र0